संख्या .....

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, होटल, औद्योगिक भूखण्ड, बारातघर/बैंकवट हाल, नर्सिंग होम हैल्थ सेन्टर भू–उपयोग के भूखण्डों को

निविदा–सह–खुली नीलामी पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तों

की

विवरण पुस्तिका

निविदा–सह–नीलामी का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड सूचना/समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के अनुसार।

(विवरण पुस्तिका के विक्रय करने की अवधि : विज्ञापन दिनांक से नीलामी दिनांक तक)

विवरण पुस्तिका मूल्य रूपये 1000/–

आवेदक के हस्ताक्षर।

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, होटल, बारातघर/बैंकवट हाल, नर्सिंग होम, हैल्थ सेन्टर भू–उपयोग के भूखण्डों को निविदा–सह–खुली नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें

1. भूखण्डों का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा नीलामी की तिथि विज्ञापन/प्राधिकरण की वेबसाईट/नोटिस बोर्ड में उल्लिखित हैं।

2. निविदा–सह–नीलामी में भाग लेने हेतु पात्रता–

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।

(ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(घ) प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(ड.) व्यक्तिगत स्वामी।

(च) रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी (को–आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।

(ज) एच0यू0एफ0।

(झ) पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्में।

(ण) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो)।

3. निविदा–सह–नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को नीलामी के समय दिये गये प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं हैं।

4. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पैन एवं आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

5. विज्ञापन में उल्लिखित तिथि को प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये 'निविदा बाक्स' में "स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ", केवल मुहरबन्द निविदायें (संलग्नक–1), पूर्वान्ह 11.00 बजें से अपरान्ह 2.00 बजें तक डाली जाएँगी। बोली में भाग लेने वाले आवेदक, नीलामी आवेदन पत्र (संलग्नक–2) में भरकर अपने साथ रखेंगे, और उसी के आधार पर बोली में प्रतिभाग करेंगे। यह ध्यान रहे कि संलग्नक–2 का आवेदन पत्र 'निविदा बॉक्स' में कदापि9 न डाला जाएगा।

6. नीलामी का आयोजन प्राधिकरण कार्यालय के सभा कक्ष में विज्ञापन में उल्लिखित तिथि एवम् समय पर नीलामी समिति के समक्ष किया जायेगा। नीलामी में केवल निम्न व्यक्ति भाग ले सकते हैं:–

- जिन्होंने धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में "स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ" अपनी निविदा के साथ निविदा बॉक्स में डाला है, के द्वारा नीलामी में भी भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्नक–2 के साथ जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स की छाया प्रति संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा। यदि मूल ड्राफ्ट निविदा बॉक्स में नहीं मिलता है, तब उनकी बोली स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

- जिनके द्वारा मोहरबन्द निविदायें निविदा बॉक्स में नहीं डाली गयी हैं, किन्तु वे सीधे बोली पद्धति से नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, उनके द्वारा बोली प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित प्रारूप संलग्नक–2 के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा।

- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ नीलामी में प्रतिभाग करने का अधिकार नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में आवेदक के साथ किसी एक व्यक्ति को अनुमति दी जा सकती है, जिसकी पूर्व अनुमति नीलामी शुरू होने से 2 घन्टे पूर्व सचिव से लेनी होगी।

- यदि आवेदनकर्ता स्वयम् उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो वह निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र स्वयम् पूर्ण करके अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा–सह–खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं, जिसके लिये आवेदनकर्ता/फर्म/कम्पनी आदि द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्रोपर आथोराईजेशन किया जाना आवश्यक होगा और ऐसी दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नीलामी समिति के समक्ष अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्यहोगा।

- यदि आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत/व्यक्तिगत स्वामी, प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म एवम् एच0यू0एफ0 या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित आवश्यक कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।

- निविदा–सह–खुली नीलामी में आवेदकों द्वारा भूखण्डों के सम्बन्ध में अपनी दरें प्रति वर्ग मीटर में दी जायेगी।

- एक बार बोली बोलने के पश्चात् उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार टेण्डर बॉक्स में अपनी निविदा डालने के पश्चात् निविदा के माध्यम से दी गयी दर वापस नहीं लिया जा सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर।

7. आवेदक जिस भूखण्ड/भवन/दुकान हेतु निविदा, टेण्डर बॉक्स में डालेगा, वह उसी पर बोली बोलने के लिये अधिकृत होगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने पर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये आवेदन विवरण पुस्तिका, धरोहर राशि के बैंकर्स चैक्स/बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर, आवेदन पत्र पृथक–पृथक से प्रस्तुत करने होंगे जिसमें संनिहित धरोहर धनराशि उसी सम्पत्ति के लिये निर्धारित धरोहर धनराशि के समतुल्य होगी।

8. हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स के भूखण्ड आवेदकों को निविदा–सह–नीलामी में भाग लेने के लिये आवेदक एम0बी0बी0एस0 डिग्री प्राप्त चिकित्सक होना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता समिति, ट्रस्ट अथवा कम्पनी आदि की ओर से भाग ले रहे हैं, तो उसका एक सदस्य एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक होना अनिवार्य है तथा हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, भी इसके साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। यदि आवेदक ने पूर्व में या वर्तमान में कोई हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम चलाया हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण भी इसके साथ संलग्न किया जायेगा। व्यक्ति/संस्था को अपनी वित्तीय स्थिति (हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षो की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

9. नीलामी समिति, नीलामी समाप्त होने, मोहरबन्द निविदा खोलने के उपरान्त अपनी संस्तुति गुण–दोष के आधार पर उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को प्रस्तुत करेंगी। उपाध्यक्ष को निविदा/बोली निरस्त करने का अधिकार होगा व उपाध्यक्ष उच्चतम् निविदा अथवा बोली को भी बिना कारण बताए निरस्त कर सकते हैं। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

10. औद्योगिक भूखण्ड, लघु उद्योग कम आवासीय श्रेणी के भूखण्डों को छोड़कर शेष भूखण्डों का आवंटन ऑफर पत्र जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर शत प्रतिशत भुगतान पर सकल कीमत में 2 (दो) प्रतिशत की छूट दी जायेगी। देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में वास्तविक अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।

11. मेरठ विकास प्राधिकरण से निविदा–नीलामी पद्धति से आवंटित औद्योगिक भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध/रजिस्ट्री कराने से पूर्व आवेदक को, औद्योगिक विभाग में एस0एस0आई0 यूनिट के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. उच्चतम् बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि (जमा धनरोहर राशि का समोयोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी। तत्पश्चात सम्पत्ति का आवंटन पत्र/आवंटन–कम–किश्त पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 75% धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगी :–

आवेदक के हस्ताक्षर।

(अ) भूखण्डों की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में 13% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन ऑफर/आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ–1–14–30विविध /2014 दिनाँक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।

(ब) पहली छमाई किश्त, बोली अथवा निविदा स्वीकति पत्र जारी होने के छः माह में देय होगी, जिसका किश्त पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा। देय किश्तें/देय धनराशि विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

13. निविदा/नीलामी में आवेदकों की धरोहर राशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/पे–आर्डर में से केवल उच्चतम् बोलीदाता की धरोहर राशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी तथा शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/पे–आर्डर उन्हें यथास्थिति वापस कर दिये जायेगे।

14. निविदा अथवा बोली स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन आफर अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् बोलीदाता/नीलामीदाता निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

15. भूखण्ड का विधिवत् आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी। भूखण्ड के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् बोलीदाता/नीलामीदाता निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो भूखण्ड से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम् बोलीदाता/नीलामीदाता, भूखण्ड के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में भूखण्ड की बहाली कराना चाहे तो दिनांक 07–12–2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार बहाली प्रक्रिया अपनाकर भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।:–

मद सं0–08	प्राधिकरण की योजनाओं में आबंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिडयूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया– (1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।

आवेदक के हस्ताक्षर।

		(2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।

16. कब्जा हस्तान्तरण—

(अ) आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा तथा हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम के आवंटी को पट्टा विलेख पंजीकृत कराकर कब्जा दिया जायेगा।

(ब) किश्तों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन ऑफर/आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ–1–14–30विविध /2014 दिनाँक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किश्तों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किश्तों की धनराशि अप–टू–डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प डयूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(द) हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स, बारातघर व बैंकवट हाल के भूखण्ड का आवंटन, लीज आधार पर होगा जिसके कब्जा अनुबन्ध/पट्टा विलेख इनमें से जो भी पहले निष्पादित हो, के समय भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि जमा करनी होगी शेष निमय शर्ते अन्य सम्पत्तियों की भाँति रहेगी।

17. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/– प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

18. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम् मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का

क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। भूखण्ड कार्नर का होने की दशा में उच्चतम निविदा/बोली का 10 प्रतिशत चार्ज अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, भूखण्ड की कीमत में शामिल करते हुए किश्तें निर्धारित की जायेगी।

19. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जेज देय होंगे।

20. (1) फ्रीहोल्ड चार्ज का 12 प्रतिशत अंश सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किश्तों के रूप में लिया जायेगा।

(2) बेचे जा रहे भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिभार शुल्क लगाकर किश्तों में लिया जायेगा।

21. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।

22. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तो, प्रतिबन्धों, उप–नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।

23. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साँझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।

24. परिसम्पत्ति का आवंटन "जहाँ है जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा तथा वह निविदा–सह–खुली नीलामी की तिथि से लागू होगा।

25. **अन्य शर्ते–**

(1) उच्चतम् बोली/निविदादाता/आवंटी को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्ते स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार अनुपालन करना होगा।

(2) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलाम की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा ।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर।

(5) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति की आरक्षित दर विज्ञापन में उल्लिखित है।

(6) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(7) परिसम्पत्ति का आवंटन उच्चतम् बोली/निविदा को प्रचलित सिद्धान्त पर "जहाँ है जैसा है" के तहत किया जायेगा।

(8) विक्रीत भूखण्ड पर भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0-भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011) के अनुसार अनुमन्य होगा।

(9) नियत तिथि को निविदा-सह-नीलामी सम्पन्न हो जाने के पश्चात् विज्ञापन शुदा अवशेष गैर आवासीय सम्पत्तियों की नीलामी प्रत्येक मंगलवार (कार्य दिवस) में होगी।

(10) आवेदक कृपया निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड व वेबसाईट पर इच्छित सम्पत्ति की रिक्तता की स्थिति ज्ञात कर लें।

(11) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि उच्चतम् बोली/निविदादाता/आवंटी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

निविदादाता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा-

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

.....

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:-
नाम.....
पिता का नाम.....
पता.....
.....

आवेदक के हस्ताक्षर।

संलग्नक–1

संख्या .....

निविदा तिथि– संलग्नक एक के अनुसार।
निविदायें डालने का समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक।
स्थान– विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

निविदा पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

1. निविदा किस सम्पत्ति के लिये है:–

(अ) भूखण्ड सं0 ..... (ब) सैक्टर .....

(स) पॉकेट ..... (द) क्षेत्रफल ..... वर्ग मीटर

(य) योजना का नाम .....

(आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

2. आवेदक का नाम (देव नागरी लिपि में).....

(रोमन लिपि में) .....

(आवेदक यदि व्यक्तिगत आधार पर आवेदन कर रहा है तो अपना पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाय अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यदि आवेदनकर्ता कम्पनी अथवा फर्म अथवा ट्रस्ट आदि के प्रतिनिधि की हैसियत से आवेदन कर रहे हैं तो कम्पनी अथवा फर्म अथवा ट्रस्ट आदि का पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।)

3. आवेदक के पिता/पति का नाम श्री .....

4. आवेदक की आयु ..... वर्ष, लिंग ..... वैवाहिक स्थिति .....

5. पता .....

.....

फोन नं0 (निवास) ..... (कार्यालय) ..... व मोबाईल सं0 .....

6. यदि आवेदक एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से भाग ले रहा है तो आवेदक सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण .....

.....

.....

7. व्यवसाय .....

8. यदि प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, व्यक्तिगत स्वामी, साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी, पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म, ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें .....

(क) नाम .....

आवेदक के हस्ताक्षर।

पत्र व्यवहार का पता:-.....

.....

फोन सं0 (निवास) . . . . . (कार्यालय) . . . . . व मोबाईल सं0 . . . . . .

स्थायी पता .....

.....

फोन सं0 (निवास) . . . . . (कार्यालय) . . . . . व मोबाईल सं0 . . . . . .

(ख) पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है) .....

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है .....

(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता:- .....

.....

फोन सं0 (निवास) . . . . . (कार्यालय) . . . . . व मोबाईल सं0 . . . . . .

(घ) प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतें- . . . . . .

. . . . . .

व्यवसाय :- ..... **(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)**

9. आवेदक का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम .....

10. धरोहर धनराशि का विवरण- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे-आर्डर संख्या.....जमा धनराशि अंकन रूपये ..... जारीकर्ता बैंक का नाम.....

.....

11. यदि विवरण पुस्तिका प्राधिकरण के वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका के क्रय मुल्य के सापेक्ष जमा धन का विवरण- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे-आर्डर संख्या .....
दिनांक ..... जमा धनराशि अंकन रूपये .....
जारीकर्ता बैंक का नाम .....

12. आवेदक द्वारा आवेदित सम्मति के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर . . . . . रूपये प्रति वर्ग मीटर (शब्दों में . . . . . रूपये प्रति वर्ग मीटर)/कुल आरक्षित मूल्य के सापेक्ष रूपये ..... (शब्दों में . . . . . रूपये मात्र)

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम-शर्तो का निविदादाता ने अध्ययन कर लिया गया है जो निविदादाता को मान्य है ।

आवेदन की तिथि.....

आवेदक के हस्ताक्षर।

संलग्नक–2

संख्या .....

नीलामी तिथि– संलग्नक एक के अनुसार।
नीलामी प्रारम्भ होने का समय– अपरान्ह 2.30 बजे से।
स्थान– विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

नीलामी (बोली) पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

(आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

1. नीलामी (बोली) किस सम्पत्ति के लिये है:–

(अ) भूखण्ड सं0 ..... (ब) सैक्टर .....

(स) पॉकेट ..... (द) क्षेत्रफल ..... वर्ग मीटर

(य) योजना का नाम .....

2. आवेदक का नाम (देव नागरी लिपि में).....

(रोमन लिपि में) .....

(आवेदक यदि व्यक्तिगत आधार पर आवेदन कर रहा है तो अपना पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्व: प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाये अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यदि आवेदनकर्ता कम्पनी अथवा फर्म अथवा ट्रस्ट आदि के प्रतिनिधि की हैसियत से आवेदन कर रहे हैं तो कम्पनी अथवा फर्म अथवा ट्रस्ट आदि का पेन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।)

3. आवेदक के पिता/पति का नाम श्री .....

4. आवेदक की आयु ..... वर्ष, लिंग ..... वैवाहिक स्तर .....

5. पता .....

.....

फोन सं0 (निवास) ..... (कार्यालय) ..... व मोबाईल सं0 .....

6. यदि आवेदक एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से भाग ले रहा है तो आवेदक सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण .....

.....

.....

.....

7. व्यवसाय .....

8. यदि प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, व्यक्तिगत स्वामी, साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को–आपरेटिव सोसायटी, पंजीकृत कर्सोटियम (Consortium) फर्म, ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त

आवेदक के हस्ताक्षर।

से भिन्न हो तो उल्लेख करें . . . . . (क) नाम . . . . . .

. . . . . .

पत्र व्यवहार का पता :– . . . . . .

. . . . . .

फोन सं0 (निवास) . . . . . (कार्यालय) . . . . . व मोबाईल सं0 . . . . . .

स्थायी पता :– . . . . . .

. . . . . .

(ख) पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है) . . . . . नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है . . . . . .

(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता:– . . . . . .

. . . . . .

फोन सं0 (निवास) . . . . . (कार्यालय) . . . . . व मोबाईल सं0 . . . . . .

(घ) प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पतें– . . . . . .

. . . . . .

व्यवसाय:– . . . . . .

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. आवेदक का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम .....

10. धरोहर धनराशि का विवरण– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे आर्डर सं0.....जमा धनराशि अंकन रूपये ..... जारीकर्ता बैंक का नाम.....

.....

11. यदि विवरण पुस्तिका प्राधिकरण के वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका के क्रय मुल्य के सापेक्ष जमा धन का विवरण– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे–आर्डर संख्या .....

दिनांक ..... जमा धनराशि अंकन रूपये .....

जारीकर्ता बैंक का नाम .....

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम–शर्तो का बोलीदाता ने अध्ययन कर लिया गया है, जो बोलीदाता को मान्य है।

आवेदन की तिथि.....

आवेदक के हस्ताक्षर।

- स्थान : विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार
- निविदा तिथि : 02–02–2018
- निविदा डालने का समय पूर्वान्ह : 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00 तक
- नीलामी तिथि : 02–02–2018
- नीलामी प्रारम्भ होने का समय अपरान्ह 2.30 बजे
- निविदा खोलने का समय : नीलामी सम्पन्न हो जाने के पश्चात्

क्र0 सं0	योजना का नाम	पॉकेट / सेक्टर	भूखण्ड सं0	भूखण्ड का प्रयोजन	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आरक्षित दर	आरक्षित कीमत	धरोहर राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	रक्षापुरम	1	C-11	व्यवसायिक	1000	22400	22400000	2240000
2.	रक्षापुरम	1	C-2/13	व्यवसायिक	150	22400	3360000	336000
3.	रक्षापुरम	1	C-2/14	व्यवसायिक	150	22400	3360000	336000
4.	गंगानगर	J	C-1	व्यवसायिक	2500	32600	81500000	8150000
5.	गंगानगर	NP	C-4/1	व्यवसायिक	4089.5	38720	158345440	15834544
6.	गंगानगर	NP	C-4/2	व्यवसायिक	4089.5	39120	159981240	15998124
7.	गंगानगर	K	C-1	व्यवसायिक	800	50600	40480000	4048000
8.	गंगानगर	M	C-1	व्यवसायिक	400	39120	15648000	1564800
9.	गंगानगर	N	COMMERCIAL	व्यवसायिक	4529	42240	191304960	19130496
10.	गंगानगर	N	C-2	व्यवसायिक	530	35860	19005800	1900580
11.	गंगानगर	B	C-2	व्यवसायिक	1500	52000	78000000	7800000
12.	गंगानगर	B	C-2	व्यवसायिक	1500	52000	78000000	7800000
13.	गंगानगर	B	C-4	व्यवसायिक	1583.25	57200	90561900	9056190
14.	गंगानगर	CP	C-03	व्यवसायिक	5588	64000	357632000	35763200
15.	गंगानगर	CP	C-05	व्यवसायिक	1000	38800	38800000	3880000
16.	गंगानगर	CP	C-06	व्यवसायिक	1000	38800	38800000	3880000
17.	गंगानगर	CP	C-07	व्यवसायिक	1000	38800	38800000	3880000
18.	गंगानगर	CP	C-08	व्यवसायिक	1000	38800	38800000	3880000
19.	गंगानगर	CP	C-09	व्यवसायिक	1000	38800	38800000	3880000
20.	गंगानगर	I	C-1	व्यवसायिक	240	35860	8606400	860640
21.	गंगानगर	I	C-2	व्यवसायिक	180	32600	5868000	586800
22.	गंगानगर	I	C-3	व्यवसायिक	180	32600	5868000	586800
23.	गंगानगर	I	C-4	व्यवसायिक	180	32600	5868000	586800
24.	गंगानगर	I	C-5	व्यवसायिक	180	32600	5868000	586800
25.	पांडव नगर	G	B PART	व्यवसायिक	204.8	53020	10858496	1085849.6
26.	श्रद्धापुरी फेस -1	8	C-1/6	व्यवसायिक	394.4	40700	16052080	1605208
27.	श्रद्धापुरी फेस–1	8	C-1/7	व्यवसायिक	438.44	40700	17844508	1784450.8
28.	श्रद्धापुरी फेस–2	A	A/07	व्यवसायिक	112.5	44000	4950000	495000
29.	श्रद्धापुरी फेस–2	C	CP-02	व्यवसायिक	3100	56000	173600000	17360000
30.	श्रद्धापुरी फेस–2	C	CP-03	व्यवसायिक	3100	56000	173600000	17360000
31.	श्रद्धापुरी फेस–2	C	CP-03/1	व्यवसायिक	3105	56000	173880000	17388000
32.	श्रद्धापुरी फेस–2	C	CC-08	व्यवसायिक	140	39000	5460000	546000
33.	श्रद्धापुरी फेस–2	C	CC-13	व्यवसायिक	162	39000	6318000	631800
34.	श्रद्धापुरी फेस–2	C	CC-15	व्यवसायिक	162	42900	6949800	694980
35.	श्रद्धापुरी फेस–2	C	CC-17	व्यवसायिक	148.75	39000	5801250	580125
36.	श्रद्धापुरी फेस–2	C	CC-18	व्यवसायिक	148.75	39000	5801250	580125
37.	डिफेन्स एन्क्लेव	B	BC-08	व्यवसायिक	285.6	45000	12852000	1285200
38.	डिफेन्स एन्क्लेव	B	BC-13	व्यवसायिक	275	49500	13612500	1361250

- स्थान : विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार
- निविदा तिथि : 02–02–2018
- निविदा डालने का समय पूर्वान्ह : 11.00 बजें से अपरान्ह 2.00 तक
- नीलामी तिथि : 02–02–2018
- नीलामी प्रारम्भ होने का समय अपरान्ह 2.30 बजें
- निविदा खोलने का समय : नीलामी सम्पन्न हो जाने के पश्चात्

क्र0 सं0	योजना का नाम	पॉकेट / सेक्टर	दुकान सं0	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आरक्षित कीमत	धरोहर राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			SHOP(S)			
1.	लोहियानगर	K	3	9.76	663700	66370
2.	लोहियानगर	K	5	10.45	710600	71060
3.	लोहियानगर	K	8	9.76	663700	66370
4.	लोहियानगर	K	10	8.99	611400	61140

1. निविदा सह नीलामी की विवरण पुस्तिका" प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.in पर रूपये 1,000/-- भुगतान पर उपलब्ध है।
2. आवेदकों को निविदा–नीलामी हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ विवरण पुस्तिका शुल्क का रूपये 1,000/– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर तथा जिस सम्पत्ति के लिये भाग ले रहे है, उस सम्पत्ति की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा सह नीलामी के आयोजन पश्चात् शेष बची हुई सम्पत्तियों की निविदा–नीलामी प्रत्येक मंगलवार को होगी।
4. तालिका में उल्लिखित सम्पत्तियों का टाईटल लीज आधार पर रहेगा।
5. आवेदक निविदा–नीलामी के माध्यम से क्रय की जाने वाली सम्पत्ति का निविदा–नीलामी के आयोजन से पूर्व स्थल निरीक्षण कर सकते है।
6. तालिका में उल्लिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी "प्रभारी अधिकारी व्यवसायिक सम्पत्ति" से तथा तकनीकी जानकारी "मुख्य नगर नियोजक" से किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

39.	डिफेन्स एन्कलेव	B	BC-20	व्यवसायिक	275	49500	13612500	1361250
40.	डिफेन्स एन्कलेव	B	BC-17	व्यवसायिक	202.5	45000	9112500	911250
41.	डिफेन्स एन्कलेव	B	BC-24	व्यवसायिक	202.5	45000	9112500	911250
42.	डिफेन्स एन्कलेव	B	BC-34	व्यवसायिक	303.6	45000	13662000	1366200
43.	डिफेन्स एन्कलेव	B	BC-35	व्यवसायिक	359.37	49500	17788815	1778881.5
44.	डिफेन्स एन्कलेव	B	COMMERCIAL PLOT	SHOPING CENTRE	2000	49500	99000000	9900000
45.	पल्लवपुरम	J	COMMERCIAL PLOT	COMMERCIAL	1687	39500	66806200	6680620
				CONV. SHOPS (PLOTS)				
1.	श्रद्धापुरी फेस-2	C	CS-1	CONV. SHOPS	254.38	42900	10912902	1091290.2
2.	श्रद्धापुरी फेस-2	C	CS-2	CONV. SHOPS	254.37	42900	10912473	1091247.3
3.	सैनिक विहार	A	CS	CONV. SHOPS	160	22400	3584000	358400
4.	सैनिक विहार	A	C.S	CONV. SHOPS	1015	22400	22736000	2273600
5.	सैनिक विहार	B	CS	CONV. SHOPS	1139	22400	25513600	2551360
6.	सैनिक विहार	D	CS	CONV. SHOPS	362.4	22400	8117760	811776
7.	पल्लवपुरम	G	C.S.	CONV. SHOPS	375	41800	15675000	1567500
8.	पल्लवपुरम	G	C.S.	CONV. SHOPS	375	39600	14850000	1485000
9.	पल्लवपुरम	H	C.S.	CONV. SHOPS	450	43200	19440000	1944000
10.	पल्लवपुरम	I	C.S.	CONV. SHOPS	550	39600	21780000	2178000
				GROUP HOUSING PLOTS				
1.	श्रद्धापुरी फेस-2	C	GH	GROUP HOUSING	9300	43500	404550000	40455000
				INDUSTRIAL PLOT				
1.	वेद व्यासपुरी	B	B/25A	Indudtrial	1000	11250	11250000	1125000
				HELTH CENTRE PLOTS				
1.	गंगानगर,	H	HELTH CENTRE	HELTH CENTRE	10495	25300	265523500	26552350
2.	शताब्दीनगर	4C/B	HELTH CENTRE	HELTH CENTRE	10000	10700	107000000	10700000
3.	पल्लवपुरम	T	HELTH CENTRE	HELTH CENTRE	880	19800	17424000	1742400

1. निविदा सह नीलामी की विवरण पुस्तिका" प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdamcerut.in पर रूपये 1,000/– भुगतान पर उपलब्ध है।
2. आवेदकों को निविदा–नीलामी हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ विवरण पुस्तिका शुल्क का रूपये 1,000/– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर तथा जिस सम्पत्ति के लिये भाग ले रहे है, उस सम्पत्ति की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे–आर्डर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा सह नीलामी के आयोजन पश्चात् शेष बची हुई सम्पत्तियों की निविदा–नीलामी प्रत्येक मंगलवार को होगी।
4. तालिका में उल्लिखित हैल्थ सेन्टर श्रेणी की सम्पत्तियों का टाईटल लीज आधार पर रहेगा तथा शेष सम्पत्ति का टाईटल फ्रीहोल्ड आधार पर रहेगा।
5. आवेदक निविदा–नीलामी के माध्यम से क्रय की जाने वाली सम्पत्ति का निविदा–नीलामी के आयोजन से पूर्व स्थल निरीक्षण कर सकते है।
6. तालिका में उल्लिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी "प्रभारी अधिकारी व्यवसायिक सम्पत्ति" से तथा तकनीकी जानकारी "मुख्य नगर नियोजक" से किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।